न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम – बृजेश गुप्ता (R.A.S)
मुकदमा नम्बर – 04/2025
किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र
दायर दिनांक – 16.01.2025
निर्णय दिनांक – 15.04.2025

अनवान

1. अम्बादास पिता मांगीदास रंगारवागी निवासी देवगाँव राज्यावास तहसील व जिला राजसमन्द।

_____प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय राजसमन्द, तहसील राजसमन्द व जिला राजसमन्द।

_____विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित
अधिवक्ता प्रार्थी – श्री मुकेश तलेसरा
विपक्षी – पेरोकार राज

निर्णय

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 पत्थरगढी कराने बाबत् पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम राज्यावास पटवार हल्का राज्यावास तहसील राजसमन्द के आराजी संख्या 1225/2 रकबा 0.3237 हैक्टेयर कृषि भूमि पर प्रार्थी काबिज होकर उपयोग उपभोग एवं काश्त करता आ रहा है। उक्त भूमि के पडौसी आये दिन प्रार्थी की भूमि में नुकसान कारित करते है, सीमा संबधी विवाद करते है तथा प्रार्थी की भूमि में नुकसान कारित करते है तथा आये दिन सीमा संबंधी विवाद करते है, मौके पर कोई स्थाई सीमाचिन्ह भी मौजुद नहीं है। प्रार्थी की भूमि मे उत्पन्न होने वाली फसल घास इत्यादि को भी आवारा पशुओ एवं नीलगायों द्वारा नुकसान पहूंचाया जाता है। प्रार्थी गरीब व्यक्ति है और वह इन रोजमर्रा के विवादो से बचने एवं नुकसान से निजात पाने के लिए प्रार्थी अपनी भूमि की चारो तरफ की पत्थरगढी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजीयात की चारो तरफ की पत्थरगढी कराये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी की और से पेरोकार सरकार ने उपस्थिति दी। पेरोकार सरकार द्वारा पत्रावली पर यह नोट अंकित किया गया कि "मौके पर पडौसी खातेदारान् को उपस्थित रहने हेतु सूचित करा पत्थरगढी किया जाना उचित है"

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुना दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित बिन्दुओ को दौहराते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम राज्यावास पटवार हल्का राज्यावास तहसील राजसमन्द के आराजी संख्या 1225/2 रकबा 0.3237 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं स्वामित्व आधिपत्य की है। प्रार्थी आये दिन होने वाले सीमा विवाद के निस्तारण हेतु अपनी उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त भूमि का पत्थरगढी आदेश प्रदान करे।

Scanned with ACE Scanner

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुनकर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज ग्राम राज्यावास की जमाबन्दी सम्वत 2077–2077 की खाता संख्या 1225 अनुसार आराजी संख्या 1225/2 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की एकल खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है उक्त आराजी निर्विवादित रूप से प्रार्थी की एकल खातेदारी की होकर प्रार्थी पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनिम 1956 बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार राजसमन्द को कमिश्नर शुल्क राशि 2000/– रू पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौके पर निर्माण नही हो एवं किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो कब्जे को डिस्टर्ब किये बिना राजस्व ग्राम राज्यावास पटवार हल्का राज्यावास तहसील राजसमन्द के आराजी संख्या 1225/2 रकबा 0.3237 हैक्टेयर कृषि भूमि की नियमानुसार सीमा जानकारी कराते हुए विधिसम्मत पत्थरगढी की कार्यवाही करावे यदि मौके पर कब्जे को लेकर विवाद हो तो पत्थरगढी नहीं करा पर्चा मौका तैयार कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। कमिश्नर शुल्क प्रार्थी अदा करे। तहसीलदार राजसमन्द को तहरीर जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

बृजेश गुप्ता (R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद

उक्त आदेश आज दिनांक 15.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद

Scanned with ACE Scanner